592वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 सितम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 592वीं बैठक दिनांक 06/09/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्स का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) सागर–

Mineral	**Other Minor Minerals**
Earlier DSR Discussed	New DSR
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	New DSR (**Other Minor Minerals**)
Revised District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Sagar No. 1210 dated 25.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र0. 66 से 91 मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार दे दी गई है। • पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी रिपोर्ट के पेज क्र0. 60 से 65 मे जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी दी गई है ।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री अमित पंडया, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा के दौरान श्री अमित पंडया, खनिज अधिकारी ने बताया कि सागर जिले में रेत की कोई खदान स्वीकृत नहीं है । चर्चा उपरांत समिति की अनुशंसा है कि सागर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, विदिशा –

अ. गौण खनिज, जिला – विदिशा

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री एम.एस. रावत, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । विदिशा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः–

- तलिका क्र0. – 9 पेज क्र0. 22–40 में दर्शित डेटा 16 बिन्दुओं की जानकारी अधिसूचना के अनुसार नही है जैसे –
  - Mining lease Sanction Order No. & date,
  - Captive or Non-captive,
  - EC obtained Yes/No
  - Method of Mining (Open Cast/Under Ground)etc.
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिन्दु क्र0. 24 के अन्तर्गतप्रदाय की गयी तालिका पेज न0. 102–115 में लीजवार वृक्षों की संख्या प्रदाय की गयी है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि विदिशा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

ब. रेत खनिज – विदिशा

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री एम. एस. रावत, खनिज अधिकारी उपस्थित

रहे । विदिशा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया कि:–

1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 42 लीजवार मानसून पूर्व एंव मानसून पश्चात् उपलब्ध रेत की मात्रा का Potential दिया गया है। रेत मात्रा का Potential की गणना करते समय रेत खदान की औसत गहराई के दशमलव के तीन अंको तक का आंकड़ा दिया गया है। अतएव गहराई बताने वाले आंकड़े को ठीक कर लें एंव मानसून पूर्व एंव मानसून पश्चात् की रेत की मात्रा मे 10 गुने तक का अंतर आ रहा है। अतएव इसको भी पुनरिक्षित कर लेवें एंव इसी तालिका में रिमार्क का कॉलम बनाकर लीजवार टीप दें।
2. 60 प्रतिशत माईनेवल पोटेंशियल की गणना कर उसको जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जाये तथा तालिका क्रमांक–35 में लम्बाई की गणना किलोमीटर के साथ–साथ मीटर में भी दी जाये ।
3. Mineral Potential deta Metric Tonne मे भी प्रदाय करें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि विदिशा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, हरदा (रेत खनिज) –

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री धनराज काटोलकर, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । हरदा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया कि :–

- पेज क्र0. 16 एंव 17 की तालिका क्र0. 14 मे रेत खनिज का मिनरल पोटेंशियल दिया गया है परन्तु मिनरल पोटेंशियल मी.टन मे नही दिया गया है अतएव इसे पुनरिक्षित कर प्रस्तुत किया जाये।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि हरदा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, अलीराजपुर –

अ. गौण खनिज जिला, अलीराजपुर

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th & 572th Meeting dated 27.08.2022 & 29.05.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Minor Minerals**)
Deliberation in the SEAC SEAC 591th, 572th , Meeting dated 27.08.2022, 29.05.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 29/05/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) ।** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 396 दिनांक 13/05/22 के माध्यम से अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 17/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में प्रस्तावित की गई। कार्यालय (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर म.प्र. ने पत्र क्रमांक–548/खनिज/2022–22, दिनांक 11/05/2022 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर को अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई दावा/आपत्ति/सुझाव/अभिमत अप्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की गई है । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई, चर्चा के दौरान खनिज विभाग, अलीराजपुर की ओर से श्री रविंद्र परमार, खनिज अधिकारी ऑन लाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ➢ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॅा वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है। ➢ माहवार वर्षा की जानकारी में ऑकड़ा किस यूनिट में प्रदर्शित किया गया है उसका उल्लेख नहीं है । ➢ नदीवार रिप्लेसमेंट डेटा (प्री–मानसून व पोस्ट–मानसून डेटा) का उल्लेख नहीं किया गया है, जो अत्यावश्यक हैं। ➢ जिलें में संचालित की जा रही खदानों में वृक्षारोपण (रोपित प्रजातियों की संख्या, रोपण वर्ष तथा फोटोग्राम) की जानकारी नहीं दी गई है। ➢ खनन् का पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का विवरण अपूर्ण है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से प्राप्त अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में निहित कई जानकारियॅा समाहित नहीं की गई है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री रविंद्र परमार, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा उनको यह भी अवगत कराया गया कि अन्य जिलों की जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया द्वारा अनुमोदित की गई हैं, उनका अध्ययन कर अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है । **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **गौण खनिज जिला, अलीराजपुर** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री रविन्द्र परमार, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित अलीराजपुर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:– 1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है (तालिका –9 पेज 34–37)। 2. पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किये गौण खनिज का ब्यौरा नही दिया गया है। 3. अलीराजपुर जिले मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो मे लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज–वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Alirajpur , No. 975 dated 31.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0. 34 से 36) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। • जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी पेज–64 मे दी गई है

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री रविंद्र परमार खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– अलीराजपुर के पत्र क्र0 975, दिनांक 31/08/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाय।

ब. अलीराजपुर (रेत खनिज)

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th, 572th Meeting dated 27.08.2022, 29.05.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Minor Minerals**)
Deliberation in the SEAC SEAC 591th, 572th , Meeting dated 27.08.2022, 29.05.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 29/05/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) ।** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 396 दिनांक 13/05/22 के माध्यम से अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 17/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में प्रस्तावित की गई। कार्यालय (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर म.प्र. ने पत्र क्रमांक–548/खनिज/2022–22, दिनांक 11/05/2022 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर को अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई दावा/आपत्ति/सुझाव/अभिमत अप्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की गई है । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई, चर्चा के दौरान खनिज विभाग, अलीराजपुर की ओर से श्री रविंद्र परमार, खनिज अधिकारी ऑन लाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ➢ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है। ➢ माहवार वर्षा की जानकारी में ऑकड़ा किस यूनिट में प्रदर्शित किया गया है उसका उल्लेख नहीं है । ➢ नदीवार रिप्लेसमेंट डेटा (प्री–मानसून व पोस्ट–मानसून डेटा) का उल्लेख नहीं किया गया है, जो अत्यावश्यक हैं। ➢ जिलें में संचालित की जा रही खदानों में वृक्षारोपण (रोपित प्रजातियों की संख्या, रोपण वर्ष तथा फोटोग्राम) की जानकारी नहीं दी गई है। ➢ खनन् का पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का विवरण अपूर्ण है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से प्राप्त अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में निहित कई जानकारियॉ समाहित नहीं की गई है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री रविंद्र परमार, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा उनको यह भी अवगत कराया गया कि अन्य जिलों की जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया द्वारा अनुमोदित की गई हैं, उनका अध्ययन कर अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

	को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है । **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 590 वीं बैठक दिनांक 28/08/22** **रेत खनिज जिला, अलीराजपुर** जिले की संशोधित अलीराजपुर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) मे पाया गया किः– 1. पेज 55 में दर्शित तालिका जिसमें लीजवार लंबाई, चौड़ाई, एंव गहराई के साथ 60ः मिनरल पोटेंशियल दर्शाया गया है इस तालिका मे प्रत्येक लीज में अलग–अलग गहराई दर्शायी गयी है। अतएव रिमार्क मे अथवा टेबल के आखिर में लीज मे गहराई अलग–अलग क्यों ली गयी है इस पर टिप्पणी करें। साथ ही इस टेबल रेत की 60 प्रतिशत् माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मे.टन यूनिट में भी दर्शायें। 2. डी.एस.आर. के पेज न0. 23–24 मे जो तालिका में विगत तीन वर्षो के Production details दर्शाये गये है। उन्हें 60ः मिनरल पोटेंशियल दर्शाने वाली तालिका में सम्मिलित करें। जिससे कि एक साथ ही डपदमतंस च्वजमदबपंस एंव विगत तीन वर्षो के च्तवकनबजपवद कमजंपसे का आंकलन कर देवें। 3. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों (रेत खदानों एंव गौण खनिज) के ब्वतकपदंजमे लीजवार डिजिटाइज्ड़ (आर्क व्यू/गूगल अर्थ कम्पटेबल) सी.डी. में संलग्न किया जायें ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने मे तथा 500 मी. के अंडर अन्य स्थित अन्य खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी श्री रविन्द्र परमार को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Alirajpur , No. 977 dated 31.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क0 26 पेज न0. 55–56 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री रविंद्र परमार खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला–अलीराजपुर के पत्र क्र0 977, दिनांक 31/08/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि अलीराजपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) नीमच –

Mineral	**Other Minor Minerals**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th Meeting dated 27.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Other Minor Minerals**)
Deliberation in the SEAC SEAC 591th Meeting dated 27.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 28/08/22 गौण खनिज, जिला नीमच** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्रीमती देविका परमार, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– ✓ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॅा वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है। ✓ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि नीमच जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	New DSR (**Other Minor Minerals**)
Revised District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Neemuch No. 1075 dated 01.09.2022

Hard Copy Soft Copy or both	Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) नीमच – आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्रीमती देविका परमार, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– • जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–9 (पेज क्र0. 14 से 29) पेज क्र0. 66 से 91 मे जानकारी (16 बिन्दुओं वाली टेबल) निर्धारित फार्मेट के अनुसार दे दी गई है। • रिपोर्ट के पेज क्र0. 43 से 48 मे जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्यों की जानकारी दी गई है ।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्रीमती देविका परमार, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– नीमच खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– नीमच ने पत्र क्रमांक 1075/खनिज/2022–23 दिनांक 01/09/22 लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, पौधों की प्रजातियों की खदानवार मात्रा, जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति की अनुशंसा है कि नीमच जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

6. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, देवास – गौण खनिज

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	581th , Meeting dated 24.06.22.
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation
Deliberation in the SEAC 581th ,	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22

<table>
<tr>
<td>Meeting dated 24.06.22.</td>
<td>
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला देवास (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 814 दिनांक 21/06/22 के माध्यम से देवास जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/22 सॉफ्टकापी को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– देवास, म.प्र. के पत्र क्रमांक 1865 दिनांक 16/06/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय मे ऑन लाईन जमा कराई गई। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– देवास, म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1657 दिनांक 23/05/2022 में यह उल्लेख किया गया है, कि जिला पोर्टल पर इसे 21 दिवस हेतु अपलोड कर प्राप्त दावें/आपत्तियों हेतु रखा गया। उक्त पत्र में यह भी उल्लेख है, कि सस्टेनेबल सेंड माइनिंग मैनेजमेन्ट गाईडलाईन 2016 एंव इन्फोर्समेन्ट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माइनिंग गाईडलाईन 2020 के तहत् जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित समिति के द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में देवास जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिस दौरान खनिज विभाग की ओर माईनिंग अधिकारी उपस्थित नहीं हुए । समिति ने प्राप्त रिपोर्ट पर चर्चा की तथा पाया कि :–

✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नम्बर 93 में दर्शायी गयी टेबल जिसके अन्तर्गत ''नदियों पर स्थित रेत का विवरण'' दिया गया है मे खनन योग्य खनिज क्षमता का 70% की दर से गणना की गयी है जबकि इसको खनिज क्षमता का 60% की दर से गणना की जानी है। साथ ही जो खनन क्षमता की 70% की दर से गणना की गयी है, वह गणना भी नर्मदा नदी के प्रकरण के मात्रा से अधिक दर्शायी गयी है, जबकि यह मात्रा निश्चित रूप से कम होगी। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार नही बनाई गईतथा कई जानकारियां वांछित तालिका में नही दी गई है जिस कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है।
✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे स्थित इको सेंसिटिव जोन की कोई भी जानकारी नही दी गई जिसमें बताया गया है जबकि खिवनी ईएसजेड जिले मे स्थित है। चूंकि जिले पारिस्थितिक संवेदी जोन जिले का एक बहुत की महत्वपूर्ण घटक है। अतएव इसका वर्णन जिसमें नोटिफिकेशन का न0. दिनांक एंव विस्तार और सीमायें एंव ई.एस.जेड. मे आ रहे गांवो का नाम का समायोजन होना अपरिहार्य है।
✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में खनिज रेत हेतु लीजवार '' माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एंव चोड़ाई के साथ) नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
✓ बिन्दु क्र0. 26 जी जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
✓ प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।
</td>
</tr>
</table>

	✓ समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । ✓ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि देवास जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Dewas, No. 2352 dated 02.09.2022.
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy.
SEAC meeting dated 27/08/22	1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना मे दिये गये निर्देशानुसार 16 बिन्दुओं वाली जानकारी दी गयी है (पेज 18–34)। • पेज 78–86 लीजवार वृक्षारोपण की जानकारी दी गयी है ।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री आरिफ खान, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा में समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– देवास जिले के पत्र क्र0 1075, दिनांक 01/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति अतः समिति की अनुशंसा है कि देवास जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

7. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मंदसौर –

अ. गौण खनिज (गिट्‌टी) जिला, मंदसौर

आज दिनांक 06/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्रीमति भावना सेंगर, प्रभारी प्रभारी, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:–

1. पेज क्र0. 22 में दर्शित तालिका क्र0. 9 मे लीजवार जो जानकारी दी गयी है वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में दी गयी वह 16 बिन्दुओं के अनुसार नही है। लीज के अक्षांश –देशांश, पर्यावरण स्वीकृति (EC) की स्थिति, केप्टिव है या नॉन केप्टिव है आदि एंव खनन की विधि आदि की जानकारी नही दी गयी है।
2. लीजवार रौपे गये पौधों की जानकारी नही दी गयी है।
3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 27–29 में जो मेटर दिया गया है वह स्पष्ट पढ़ने में नही आ रहा है। इन पेजों में Text आपस में मिल रहा है

ब . गौण खनिज (लेटेराईट) जिला, मंदसौर

जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया कि:–

1. पेज क्र0. 22 मे लीजवार जो जानकारी दी गयी है वह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में दी गयी वह 16 बिन्दुओं के अनुसार नही है। लीज के अक्षांश –देशांश, पर्यावरण स्वीकृति (EC) की स्थिति, केप्टिव है या नॉन केप्टिव है आदि एंव खनन की विधि आदि की जानकारी नही दी गयी है।
2. लीजवार रौपे गये पौधों की जानकारी नही दी गयी है।
3. पेज क्र0. 27–29 में पेज 10–12 में Text मेटर दिया गया है वह पढ़ने में नही आ रहा है।

स. गौण खनिज (रेत खनिज) जिला, मंदसौर

जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) मे पाया गया कि:–

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में निर्देशित की गयी तालिका नही तैयार की गयी है। रिपोर्ट में ली गई रेत की लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ प्रदर्शित नही की गयी है।

2. रेत खनिज का लीजवार मिनरल पोटेंशियल घन मी. एंव मी.टन मे मात्रा भी नही दर्शायी गयी है।
3. लीजवार 03 वर्षो का मिनरल पोटेंशियल नही दर्शाया गया है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि मंदसौर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज, लेटराईट एवं गिट्टी) को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, शहडोल –

अ. गौण खनिज (गिट्टी) जिला, शहडोल

आज दिनांक 06/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री प्रमोद शर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया किः–

1. पेज 12 टेबल न0.निरंक की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी नही दी गयी है। जिससे लीज के अक्षांश –देशांश की जानकारी भी नही है।
2. लीजवार हरित क्षेत्र विकास की जानकारी भी नही दी गयी है।
3. जिले मे उपलब्ध कुल खनिज भण्ड़ार की जानकारी देवें।
4. जिले मे उपलब्ध कुल खनिज की क्वालिटी /ग्रेड की जानकारी देवें।
5. पिछले 03 वर्षो के दौरान मांग और पूर्ति की जानकारी देवें।
6. जिले में पारिस्थितिकी, संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) यदि कोई हो तो जानकारी देवें।

ब . गौण खनिज (रेत खनिज) जिला, शहडोल

1. मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल पेज न0. 64 में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये ।
2. साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे 03 वर्षो का लीजवार च्तवकनबजपवद कमजंपसे दिखायें नही गये है।
3. पेज क्र0. 93 में (Annual deposition) Annexure – VI के अंतर्गत तालिका में रेत की लीज वार जानकारी निरंक दर्शायी गयी है जबकि पेज क्र0. 64 में प्रदाय की गयी तालिका के अन्तर्गत रेत की लीजवार, नदी वार जानकारी प्रदाय की गयी है। अतएव कृपया वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि शहडोल की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की

सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, दमोह – रेत खनिज

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 576th, 588th Meeting dated 10.06.2022, 16.08.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Mineral**)
Deliberation in the SEAC 576th & 588th Meeting dated 10.06.2022 & 16.08.22	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576 वीं बैठक दिनांक 10/06/22 रेत खनिज, जिला दमोह. –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के पत्र क्रमांक 341 दिनांक 17/5/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला दमोह सीधे सेक को प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रतिलिपि सिया को दी गई थी जिसमें यह उल्लेखित है कि इस रिर्पोट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया तथा जिला के सर्वेक्षण रिपोर्ट में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन दिनांक 18/04/22 को किया गया । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 01/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तावित की गई । कार्यालय (खनिज शाखा) जिला दमोह म.प्र. ने पत्र क्रमांक–229 दिनांक 18/04/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड किया गया था । उक्त अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत की गई है । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, दमोह की ओर से श्री मेजर सिंह जावरा, प्रभारी खनिज अधिकारी एवं श्री सत्यम सिंह परिहार ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ➢ तालिका क्रमांक–2 में जिला का मिनरल उत्पादन दर्शाया गया है, जिसमें स्टोन का उत्पादन शून्य बताया गया है जबकि तालिका क्रमांक–5 एवं फिगर–3 अनुसार जिले में कई स्टोन खदानें कार्यरत है, स्पष्ट करें । ➢ तालिका–11 में कॉलम–5 में नक्शा के अंतर्गत दी गई जानकारी अस्पष्ट है एवं रेत खदानों की गहराई का उल्लेख नहीं है । ➢ तालिका–11 एवं 12 में प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है । ➢ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है। बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।

- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए ।
- समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये ।ऑन लाईन उपस्थित प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 रेत खनिज, जिला दमोह. –

1. तालिका क0. 18 जिसमें प्री–मानसून के अन्तर्गत रेत की उपलब्ध मात्रा लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ–साथ दर्शायी गयी है की गणना सही प्रतीत होती है, परन्तु तालिका 19 मे पोस्ट'मानसून के अन्तर्गत रेत की उपलब्धता की गणना की गयी है। इस तालिका के कॉलम (4) मे खदान की लंबाई किलोमीटर यूनिट में दर्शायी गयी है। सही प्रतीत नही होती क्योंकि प्री–मानसून मे जिस खदान की लंबाई पोस्ट मानसून मे 3 किलोमीटर दिखाई गयी है। यह कैसे संभव है? अत एव तालिका क0. 19 को पुनरिक्षित करें एंव पुनः सभी लीजों की लंबाई को चेक करें। इसी आधार पर तालिका क0. 20 को एंव अन्य भी संबंधित तालिकाओं को पुनरिक्षित करें।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना मे रेत खदानों की जिला सर्वेक्षण रिनोर्ट तैयार करने के लिये जो तालिका मे दी गयी है जिसमें अंतिम तालिका जिसमें नदी–वार एंव लीज–वार सभी को सम्मिलित की जाना है जिसमें प्रत्येक लीज की लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ लीजों मे रेत की उपलब्ध मात्रा की गणना की जाना है तत्पश्चात् उपलब्ध मात्रा की 60% मिनरल पोटेंशियल ही दर्शाया जाना है। इस तालिका का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल नही किया गया है। अत एंव इस महत्वपूर्ण तालिका को तैयार करें एंव इसका ध्यान रखें कि प्री–मानसून, पोस्ट मानसून एंव अन्य तालिकाओं में जहां भी लीजों की लंबाई– चौड़ाई का उल्लेख होता है वहां समरूपता रहे।
3. रेत खदानों के विवरणों मे तालिका क0. 3 में लीजों के मात्र (Coordinate) ही दर्शाये गये है। अतएव 04–.04 Coordinates दर्शाये। जिससे एक Polygon बन सके।
4. विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है
5. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की

	सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो। 6. मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। उपस्थित श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Damoh , No. 564 dated 31.08.2022 (through E-mail)
Hard Copy Soft Copy or both	Soft copy.
SEAC meeting dated 06/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे पेज क्र0. 68 से 70 (in PDF format) मे में दर्शित तालिका में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60: टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा। • मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल 18 , पेज क्र0. 71 से 72 (in PDF format) मे में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 06/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गइ है, एंव विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है भी दर्शाया गया है। खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला – दमोह ने पत्र क्रमांक 564 दिनांक 31/08/2022 के माध्यम से ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है तथा मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है ।

समिति की अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ दमोह जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

10. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, मुरैना–

अ. गौण खनिज (मिट्टी), जिला, मुरैना,

आज दिनांक 06/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री विक्रांत वर्मा, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे । जिले की संशोधित मंदसौर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया गया किः–

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज (मिट्टी) कें पेज क्र0. 10 में प्रदाय की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी का समावेश नही किया गया है जैसेः–

- खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख
- कार्यशील /गैर कार्यशील केप्टिव /नॉन – केप्टिव
- पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति
- खनन की स्थिति

ब. गौण खनिज (मुरूम खनिज), जिला, मुरैना

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज (मुरूम खनिज) कें पेज क्र0. 10 में प्रदाय की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी का समावेश नही किया गया है जैसेः–

- खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख
- कार्यशील /गैर कार्यशील केप्टिव /नॉन – केप्टिव
- पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति
- खनन की स्थिति

स. गौण खनिज (फ्लेग स्टोन खनिज), जिला, मुरैना

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट **गौण खनिज** (**फ्लेग स्टोन खनिज**) के पेज क्र0. 10 में प्रदाय की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी का समावेश नही किया गया है जैसेः–

- खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख
- कार्यशील /गैर कार्यशील केप्टिव /नॉन – केप्टिव

- पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति
- खनन की स्थिति

द. गौण खनिज (गिट्टी), जिला, मुरैना,

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज (गिट्टी) के पेज क्र0. 09–12 में प्रदाय की तालिका में 16 बिन्दुओं की जानकारी का समावेश नही किया गया है जैसेः–

- खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख
- कार्यशील /गैर कार्यशील केप्टिव /नॉन – केप्टिव
- पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति
- खनन की स्थिति

चर्चा के दौरान खनिज अधिकारी ने बताया कि मुरैना जिले में रेत खनिज की कोई खदान नहीं है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि मुरैना की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, उज्जैन

अ. रेत खनिज, जिला उज्जैन –

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591st & 592th Meeting dated 27.08.2022 & 05.09.2022.
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Mineral**)
Deliberation in the SEAC 591st & 592th Meeting dated 27.08.2022 & 05.09.2022.	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– 1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में खनिज रेत हेतु लीजवार '' माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (घनमीटर में) (60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एव चोड़ाई के साथ) नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।

	2. विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल नही दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा। 3. मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये । 4. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों (रेत खदानों एंव गौण खनिज) के Coordinate मे लीजवार डिजिटाइज्ड़ (आर्क व्यू/गूगल अर्थ कम्पटेबल) सी.डी. में संलग्न किया जायें ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने मे तथा 500 मी. के अंडर अन्य स्थित अन्य खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एंव रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी श्री महेन्द्र पटेल को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी। **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 05/09/22** जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– उज्जैन (रेत खनिज) श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी। उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गयी। उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में प्रस्तावित की गई। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:– 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में निर्देशित की गयी तालिका नही तैयार की गयी है। रिपोर्ट में ली गई रेत की लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई संबंधी जानकारी नही दी गयी है। 2. रेत खनिज का लीजवार मिनरल पोटेंशियल घन मी. एंव मी.टन मे नही दिया गया है। 3. लीजवार 03 वर्षो का मिनरल पोटेंशियल नही दर्शाया गया है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Ujjain , No. 1538 dated 07.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy.
SEAC meeting dated 06/09/22	खदानों की गहराई डेसीमल के 2 से 3 भाग तक दी गई है जिसके अनुसार खनन् कार्य किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है, अतः इसे पुनरीक्षित किया जाये । उपस्थित खनिज अधिकारी ने बताया कि वे आज ही पुनरीक्षित कर प्रस्तुत कर देंगे । अतः कल की बैठक दिनांक 07/09/22 के दौरान प्रस्तुतीकरण करने की अनुमति प्रदान करे ।

	समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि इस प्रकरण को 07/09/22 की निर्धारित बैठक में पुनः सुन लिया जाये ।

ब. रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौण खनिज, जिला उज्जैन –

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591st & 592th Meeting dated 27.08.2022 & 05.09.2022.
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Minor Mineral**)
Deliberation in the SEAC 591st & 592th Meeting dated 27.08.2022 & 05.09.2022.	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **अ. गौण खनिज, जिला उज्जैन –** दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री महेन्द्र पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– 1. प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 मे जानकारी निर्धारित फार्मेट (16 बिन्दुओं वाली टेबल) के अनुसार नही दी गयी है (तालिका –13 पेज 28–53)। 2. पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किये गौण खनिज का ब्यौरा नही दिया गया है। 1. उज्जैन जिले मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो मे लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, प्रजातियों की जानकारी को लीज–वार जिसमें यह दर्शाया गया हो कि निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना पौधारोपण किया गया है। इसको भी सम्मिलित करें। **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 05/09/22** जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– उज्जैन (गौण खनिज उज्जैन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गयी। उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में प्रस्तावित की गई। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592 वीं बैठक दिनांक 06/09/22 में उज्जैन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:– 1. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–13 (पेज क्रमांक–29 से 55) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है । 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास खदानों में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व किए गए वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है
Revised DSR received from District Collectorate	Received hard copy & soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Ujjain , No. 1538 dated 07.09.2022.

(Mining)	
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy.
SEAC meeting dated 07/09/22	• जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी नही दी गई है । उपस्थित खनिज अधिकारी ने बताया कि वे आज ही पुनरीक्षित कर प्रस्तुत कर देंगे । अतः कल की बैठक दिनांक 07/09/22 के दौरान प्रस्तुतीकरण करने की अनुमति प्रदान करे । समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि इस प्रकरण को 07/09/22 की निर्धारित बैठक में पुनः सुन लिया जाये ।

12. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, सिवनी (रेत खनिज)

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th dated 27.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Minerals**)
Deliberation in the SEAC 591th, Meeting dated 27.08.2022,	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सिवनी (म.प्र.) ।** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री आर.के. खातरकर, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । सिवनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– 1. तालिका कमांक "च" (पेज न0. 36) एनेक्सर III के अन्तर्गत दी गयी तालिका में खनिज छूट के लिये सिफारिश नदी एंव धारा के अन्तर्गत दी गयी जानकारी "निरंक" दर्शायी गयी है? इसको स्पस्ट करें। 2. एनेक्सर XIV पेज क0. 66 के अन्तर्गत तालिका में रेत की उपलब्ध मात्रा औसत दर्शायी गयी है, जबकि इस आंकड़े प्री एंव पोस्ट मानसून की दृष्टि से दर्शाया जाना है। साथ ही मानसून पूर्व एंव मानसून पश्चात् रेत की उपलब्ध मात्रा एक जैसी दर्शायी गयी है। कृपया इस तालिका को पुनरिक्षित करें। 3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तालिका का समावेश प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नही किया गया है जिसमें नदी वार एंव लीजवार लीज की लंबाई, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ रेत की मात्रा दर्शायी जाती है। साथ ही मिनरल पोटेंशियल 60% माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत करे। 4. रिपोर्ट की इसी तालिका मे 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल भी दिया जाना प्रस्तावित है।

	चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि सिवनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Seoni , No. 1606 dated 31.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22.	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–Annex.IV पेज न. 40–41 में खनिज रेत हेतु ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) दिया गया है। • प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–Annex.IV में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गयी है। • मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबिल क्रमांक–Annex.IV पेज न. 40–41 में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री आर.के. खातरकर, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा में समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– सिवनी के पत्र क्र0 1606, दिनांक 31/08/22 के माध्यम समिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति की अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ सिवनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

13. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्वालियर

अ – रेत खनिज

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 586th & 591th dated 21.07.2022 & 27.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Minerals**)
Deliberation in the SEAC 591th, Meeting dated 27.08.2022,	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– ग्वालियर (रेत खनिज)** ➢ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में कई जगह पर अग्रेजी का मेटर लगातार लिख गया है (Text mixed with other word) इस त्रुटि को दूर कर पुनरिक्षित किया जावें। ➢ तलिका क0. 13.3 (पेज –27) मे नदी वार जो रेत लीज में उपलब्ध मात्रा की गणना की गयी है वह उचित प्रतीत नही होती है। अतएव इसका पुनरिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। ➢ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ➢ प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए । समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592वीं बैठक दिनांक 06/09/22** • पेज न0. 27 में दी गयी मिनरल पोटेंशियल वाली तालिका क0. 13.3 जो लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ जो मिनरल एरिया दिया गया है उसमें अंतर आ रहा है। अतएव इस संबंध में अपना

	स्पष्टीकरण देवें।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Gwalior, No. Q1 dated 06.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक– 13.3 पेज न. 27–28 में खनिज रेत हेतु ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) दिया गया है। • प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक–13.3 पेज न. 27–28 में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गयी है। • मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबिल क्रमांक–13.3 पेज न. 27–28 में में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री प्रदीप सिंह भूरिया प्रभारी खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति ने पाया कि खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– ग्वालियर ने पत्र दिनांक 06/09/22 के माध्यम समिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति की अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ ग्वालियर (रेत खनिज)की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

ब. ग्वालियर अन्य खनिज (रेत छोडकर)

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 586th & 591th dated 21.07.2022 & 27.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Minerals**)
Deliberation in the SEAC586th & 591th Meeting dated 21.07.2022 27.08.2022,	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– ग्वालियर** (गौण खनिज) ➢ तालिका क0. 9.2 एंव 9.3 जिसमें गौण खनिज की जानकारी प्रदाय की गयी है उसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप नही है अतएव गौण खनिज की सम्पूर्ण तालिकाओं का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। ➢ बिन्दु क0. 19 एंव 19.1 में प्रदाय की घाटीगांव इको सेंसिटिव जोन की जानकारी के अंर्तगत ESZ सीमा की जानकारी एंव ESZ में आने वाले गांवो की जानकारी का समावेश किया जायें अथवा मंत्रालय द्वारा जारी इको सेंसेटिव जोन संबंधी अधिसूचना संलग्न की जाये। ➢ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार बिंदु कमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । ➢ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता

	दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि ग्वालियर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री प्रदीप सिंह भूरिया प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 592वीं बैठक दिनांक 06/09/22** • पेज न0. 27 में दी गयी मिनरल पोटेंशियल वाली तालिका क0. 13.3 जो लीजवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ जो मिनरल एरिया दिया गया है उसमें अंतर आ रहा है। अतएव इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण देवें।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Gwalior, No. Q1 dated 06.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22	• पेज क0. 75 मे दी गयी तालिका जिसमें पांच वर्षो में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी दी गयी है ,के पेज न0. 92–96 तक के सरल क0. 157 से 189 में वृक्षारोपण संबंधित जानकारी नही दी गयी है। उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री प्रदीप सिंह भूरिया प्रभारी खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि कार्यालय खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– ग्वालियर के पत्र क0 Q1 दिनांक 06/09/22 लीज धारकों द्वारा किये गये पांच वर्षो में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ ग्वालियर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

14. जिला सर्वेक्षण रिर्पोट – सीधी अन्य खनिज (रेत छोडकर)

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 587th , 589th Meeting dated 02.08.22, 17.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Sand)
Deliberation in the SEAC 587th, 589th Meeting dated 02.08.22, 17.08.2022.	*राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक* 02.08.22 *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – सीधी, म.प्र.– (रेत खनिज)* कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के पत्र क्रमांक 220 दिनांक 14/07/22 के माध्यम से सीधी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट **रेत एंव अन्य गौण खनिज** हेतु अलग–अलग 02 वॉल्यूम में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु ई–मेल के माध्यम से (सॉफ्टकापी) भेजी गई है जो राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को दिनांक 22/07/22 को प्राप्त हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 24/07/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को प्रस्तावित है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी म.प्र. के पत्र क्रमांक 220 दिनांक 14/07/2022 द्वारा प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि इस रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 30/06/22 को किया गया तथा अनुमोदन उपरांत जिले की बेवसाईट पर दिनांक 01/06/22 को अपलोड किया गया, जिसमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए । राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को सीधी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सीधी की ओर से सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– <u>अन्य गौण खनिज</u> 1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–अन्य गौण खनिज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है । 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–3 (पेज क्रमांक–08 से 12) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है । निर्धारित प्रपत्र के क्रमांक–9 के कॉलम–05, 13, 14, 15 एवं 16 इत्यादि की जानकारी नहीं दी गई हैं । 3. इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–14 की जानकारी अधिसूचना के निर्धारित प्रपत्र के क्रमांक–13 में प्रस्तावित टेबिल के अनुरूप नहीं है । 4. इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निर्धारित प्रपत्र के बिंदु क्रमांक–18, 20, 25 एवं 26 की जानकारियों का समावेश नहीं किया गया है, जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है । 5. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) के पेज न0. 28 के बिन्दु क्र0. 16 में जिले मे स्थित इको सेंसिटिव जोन की जानकारी दी गयी है, जिसमें बताया गया है जिले मे संजय डुबरी (Sanjay-Dubri N.P.& Tiger Reserve) राष्ट्रीय पार्क एंव टाईगर रिजर्व, सोन–घड़ियाल, अभ्यारण एंव बगदरा वन्य प्राणी अभ्यारण स्थित होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पाये जाने वाले जंगली जानवरों का भी उल्लेख है। चूंकि सीधी जिला वन्य प्राणी, जलचरों एंव वनस्थिति दृष्टि अत्याधिक संवेदनशील है अतएव डी.एस.आर. के इस पार्ट

	तीनों ईको सेंसीटिव जोन यथा–सजंय–डुबरी राष्ट्रीय पार्क, सोन घड़ियाल अभ्यारण एंव बगदरा वन्य प्राणी अभ्यारण के अन्तर्गत इनकी सीमायें की जानकारी (Extentd) नोटिफिकेशन न0.एंव कोर जोन एंव बफर जोन मे आने वाले गांवों की सूचि का समावेश करना अत्याधिक आवश्यक है जिससे खनन गतिविधि का कोई भी विसम प्रभाव वन्य–प्राणी के रहवास एंव इनके संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र पर न पड़े एवं इनसे संबंधित अधिसूचनाओं की प्रति भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न की जाना चाहिए । 6. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सीधी को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। ***राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22*** *खनिज अधिकारियों से चर्चा के दौरान जिला रायसेन, भोपाल एवं सीधी के खनिज अधिकारी (जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में सूचीबद्ध नहीं थी) भी चर्चा में आमंत्रित किये गये थे ताकि लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में वे अपनी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन कर सके । इस दौरान खनिज अधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान उठाये गये प्रश्नों पर भी चर्चा की गयी एंव उनका शंका समाधान भी किया गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी को भी समिति ने निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर भी जिले के सभी खनिज अधिकारियों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन, 2016, इंफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2020 तथा अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार प्रस्तुत करें ताकि बार–बार संशोधनों की आवश्यकता न पड़े ।*
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Sidhi , No. 388 dated 24.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 26/08/22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में दी गयी है वह 16 बिन्दुओं वाली जानकारी 02 तालिकाओं में दी गयी है। तालिका क्र0. 9 पेज क्र0. 19–42 एंव तालिका क्र0. 26 पेज न0. 57 से 64 में लीजवार विगत 03 वर्षो में लगाये गये पौधों की संख्या एंव प्रजाति दर्शायी है।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं ऑन–लाईन सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज

अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला– सीधी के पत्र क्र0 388 दिनांक 24/08/22 लीज धारकों द्वारा किये गये पांच वर्षो में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

15. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, खरगौन –रेत खनिज

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 576 th & 591th Meeting dated 10.06.22 & 16.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Mineral**)
Deliberation in the SEAC 576 th, & 591th Meeting dated 10.06.22 & 16.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576 वीं बैठक दिनांक 10/06/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला खरगौन (म.प्र.)** **<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला खरगौन (म.प्र.) ।</u>** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 602 दिनांक 27/05/22 के माध्यम से खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा खरगौन के पत्र क्रमांक 7676 दिनांक 27/5/22 के माध्यम से सूचित किया गया है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिला सूचना केन्द्र के बेव पोर्टल पर 21 दिन की अवधि हेतु अपलोड किया गया । उक्त अवधि की जिला के सवेक्षण रिपोर्ट में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए, अतएव गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई और इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7661 दिनांक 24/05/22 को कलेक्टर महोदय से अनुशंसा सहित सदस्य सचिव, सिया/सेक को भेजी गई । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 02/06/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में प्रस्तावित की गई । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 576वीं बैठक दिनांक 10/06/22 में खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, खरगौन की ओर से श्री सावन चौहान, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– ➢ जिला सवेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 14 एवं 15 में दी गई रेत खदानों की सूची में खसरा नं. एवं क्षेत्रफल की जानकारी नहीं दी गई है । ➢ जिला सवेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 27 की तालिका–6 में तीन वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में रेत की मात्र अलग–अलग दर्शाई गई जबकि उन्हीं वर्षो में रॉयल्टी/राजस्व प्राप्ति की राशि (रू. 17,28,00000) बराबर है, स्थिति स्पष्ट करें । ➢ तालिका–11 एवं 12 में प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है । ➢ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॅा वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है। ➢ बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है

	कि जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । ➢ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ➢ प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए । ➢ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए । ➢ समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । ➢ समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है । **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 590 वीं बैठक दिनांक 27/08/22** **<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला (रेत खनिज) खरगोन –</u>** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री सावन सिंग चौहान, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे। नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– • राज्य स्तरीय विशेषज्ञ ऑकलन समिति (SEAC) की बैठक दिनांक 27/08/2022 में खरगोन जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर की गई चर्चामे ये पाया गया कि विगत 03 वर्षो में रेत की मात्रा एवं उपलब्ध रेत की मात्रा में भिन्नता पाई गई अतः खनिज अधिकारी द्वारा उक्त तालिका को आवश्यक सुधार करते हुए पुनः प्रस्तुत करने को कहा गया। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि खरगोन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।
Revised DSR received from	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Khargone, No. 826 dated 25.08.2022

District Collectorate (Mining)	
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy.
SEAC meeting dated 06/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क0 निरंक पेज न0. पेज क0. 52 (A) में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री सांवत चौहान, खनिज अधिकारी। के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि बड़वानी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गइ है, एंव विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है भी दर्शाया गया है। खरगोन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला – खरगौन ने पत्र क्रमांक 8221 दिनांक 06/09/2022 के माध्यम से ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है। तथा मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है ।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ खरगौन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जायें

निम्नानुसार उल्लेखित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज अधिकारियों द्वारा आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित खनिज निरीक्षक के अनुरोध पर मान्नीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गई ।

16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पन्ना –

अ. रेत खनिज

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 584 th & 591th Meeting dated 05.07.22 & 27.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Mineral**)
Deliberation in the SEAC 576 th, & 591th Meeting dated 10.06.22 & 16.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 584 वीं बैठक दिनांक 05/07/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला पन्ना (म.प्र.)** जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – पन्ना (म.प्र.). राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 864 दिनांक 28/06/22 के माध्यम से पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–पन्ना, म.प्र. के पत्र क्र0. 733 दिनांक 15/06/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया कार्यालय मे ऑनलाईन जमा कराई गई। उक्त जिला सर्वेक्षण रिर्पोट समिति के सदस्यों को दिनांक 28/06/22 को सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 584 बैठक दिनांक 05/07/2022 में प्रस्तावित है। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 584 बैठक दिनांक 05/07/2022 में पन्ना जिले की रिपोर्ट पर चर्चा की गयी । चर्चा के दौरान खनिज विभाग की ओर से श्री रवि कुमार पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये । चर्चा के दौरान समिति ने खनिज अधिकारी को बताया कि प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एंव जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में वर्णित प्रपत्र के अनुरूप नहीं है, जैसे :– 1. तालिका क्र0. 3 (पेज न0. 8–14) जो कि रेत खनन से संबंधित है यह जानकारी पर्यावरण, वन एंव जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप नही है, क्योंकि स्वीकृत खदानों की वैधता की अवधि नहीं दी गई हैं। 2. तालिका क्र0. 4 फ्लेग स्टोन (पेज न0. 15–30), तलिका क्र0. 5 स्टोन गिट्टी (पेज न0. 31–38) एंव तलिका

	क्र0. 6 (पेज न0. 38) मे भी प्रदाय की गयी जानकारी पूर्ण नही है। संबंधित अधिसूचना मे उपरोक्त जानकारी 16 कॉलमों मे समाहित की गयी है। अतएव तद्नुसार गौण खनिजों की जानकारी का उन्नयन करें। 3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जितने भी नक्शे संलग्न किये गये है, उन्हे रंगीन प्रिंट मे लगायें जिससे की लीजेण्ड मे दी गई जानकारी को नक्शे मे दर्शाये गये फीचर्स से सामंजस्य हो सके। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए। 4. पेज न0. 53 में दर्शायी गयी पाई डायग्राम की जानकारी भी कलर्ड प्रिंट करके लगाये। 5. तालिका क्र0. 15 (पेज न0. 63) मे नदियों के कैंचमेंट की जो जानकारी दी गयी है उसके दुबारा पुनरिक्षित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 6. बिन्दु क्र0. 19 (पेज –67) मे ESZ मे अधिसूचित केन घड़ियाल अभ्यारण की जानकारी का भी समावेश किया जाये । चूँकि पारिस्थितिक संवेदी जोन जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, अतएव इसका वर्णन जिसमें नोटिफिकेशन का नम्बर, दिनांक एवं विस्तार और सीमाओं का समावेश होना अपरिहार्य है । 7. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक– 20, 21 एवं 22 जिसमें पोस्ट और प्री मानसून में रेत की उपलब्धता दर्शाई गई है, संबंधित दोनों तालिका में जो रेत की उपलब्धता की गणना, स्वीकृत के परिप्रेक्ष्य में की जाना चाहिए । यदि किसी वजह से रेत की उपलब्धता/आंकलन कम हो रही है तो रिमार्क में उचित टिप्पणी के साथ, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए तथा प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून में प्रदाय की गई अनुमानित रेत की मात्रा में लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दी गई है । 8. बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । 9. तालिका क्रमांक–25 में जानकारी अपूर्ण है, क्योंकि जिलें में प्रतिशत निष्काषित क्षेत्र की जानकारी नहीं दी गई हैं । 10. तालिका क्रमांक–27 एवं 28 में जानकारी खदानवार लीजवार (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) पर्यावरण, वन एंव जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में वर्णित प्रपत्र के अनुरूप प्रस्तुत की जाये। 11. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । 12. प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए । 13. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । 14. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री रवि कुमार पटेल, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि वे अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है । **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22**

	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पन्ना (रेत खनिज) – आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री रवि पटेल, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । पन्ना जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया :– 1. तालिका कमांक 16 एंव तालिका कमांक 17 (पेज न0. 64–65) में रेत की मात्रा का आंकलन करने में खदान की गहराई कितनी रखी है उसका उल्लेख नही है। 2. इसी प्रकार तालिका कमांक 21 पेज क0. 70 मे मिनरल पोटेंशियल की गणना करने में तालिका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है। इसमें खदानवार लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई का उल्लेख नही किया गया है। 3. रिपोर्ट में 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल भी नहीं दिया गया है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी । समिति का यह भी सुझाव है कि केन नदी में घडियाल ब्रीडिंग क्षेत्रों का विशेष ध्यान दिया जाये ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Khargone, No. 983 dated 29.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy
SEAC meeting dated 06/09/22	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका क0 5–A पेज न0. पेज क0. 26 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा।

आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री रवि पटेल, खनिज अधिकारी, के साथ उपस्थित रहे।

समिति ने पाया कि पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गइ है, एंव विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है भी दर्शाया गया है। खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला – पन्ना ने पत्र क्रमांक 983 दिनांक 29/08/2022 के माध्यम से ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है। तथा मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में

आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है ।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ पन्ना जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

18. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, टीकमगढ–रेत खनिज

Mineral	**Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 591th, Meeting dated 27.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Mineral**)
Deliberation in the SEAC SEAC 591th, Meeting dated 27.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 रेत खनिज, जिला टीकमगढ़ –** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 523 दिनांक 23/05/22 के माध्यम सेटीकमगढ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 23/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में प्रस्तावित की गई। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ म.प्र. ने पत्र क्रमांक–11/खनिज/तीन–06/ 3490, दिनांक

	20/05/2022 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के अवलोकन एवं सुझाव हेतु जिला टीकमगढ़ के पोर्टल पर 21 दिन हेतु प्रदर्शित की गई, जिसमें किसी प्रकार के सुझाव प्राप्त नहीं हुए है । इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 13/4/22 को किया गया । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में टीकमगढ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, टीकमगढ़ की ओर से श्री सईद अली, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :–जिसमें पाया गया कि :– राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 523 दिनांक 23/05/22 के माध्यम से टीकमगढ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियॉ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि टीकमगढ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है तथा पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी भी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.मे) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ✓ खदान में डिपोजिट रेत के पोस्ट–मानसून एवं प्री–मानसून टेबल में प्रदर्शित डेटा पेज नं. 51 एवं 53 के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दर्शायी गई रेत की मात्रा पोस्ट–मानसून में प्री–मानसून कम है जो तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पोस्ट–मानसून में रेत की मात्रा सामान्यतः अधिक होना चाहिए, अतः इस जानकारी का पुनरावलोकन संबंधित जिले से करा लिया जाये । ✓ इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 59 टेबिल क्रमांक–19 में खनिज रेत हेतु ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि टीकमगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री सईद अली, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा उनको यह भी अवगत कराया गया कि अन्य जिलों की जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया द्वारा अनुमोदित की गई हैं, उनका अध्ययन कर टीकमगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। **राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 591 वीं बैठक दिनांक 27/08/22 रेत खनिज, जिला टीकमगढ़ – संशोधित** आज दिनांक 27/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री एस.जेड अली, खनिज अधिकारी उपस्थित रहे । टीकमगढ़ जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पायाः– ✓ बिन्दु क्र0. 3 टेबिल क्रमांक–3 मे रेत खनन के मामले मे लीज की वैद्यता नही दर्शायी गयी है। ✓ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका 19 पेज न0. 65 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है परन्तु विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल नही दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा। ✓ मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60% माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये । ✓ इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल

	अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । ✓ प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए । ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए । ✓ समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60% से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें । चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि टीकमगढ़ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई गौण खनिज के प्रकरणों में जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।रेत खनिज के प्रकरणों में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है साथ ही टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60% माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये । बैठक में उपस्थित श्री एस.जेड अली, खनिज अधिकारी, को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Tikamgarh , No. 3847 dated 02.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy.
SEAC meeting dated 06/09/22	• जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे पेज न0. 40 में दर्शित तालिका में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षो के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो मे कितना रहा। • मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 06/9/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री एस.जेड अली, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति ने पाया कि टीकमगढ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गइ है, एंव विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार

मात्रा भी पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है भी दर्शाया गया है। खनि. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला – टीकमगढ ने पत्र क्रमांक 3847 दिनांक 02/09/2022 के माध्यम से ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है। तथा मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है ।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ टीकमगढ जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

19. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, आगर मालवा –

अ. गौण खनिज जिला, आगर मालवा

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 587th & 588th Meeting dated 02.08.2022 & 16.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Minor Minerals**)

Deliberation in the SEAC SEAC 587th & 588th Meeting dated 02.08.2022 & 16.08.2022	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 588 वीं बैठक दिनांक 28/08/22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आगर मालवा (अन्य गौण खनिज)– श्री सतीश मिश्रा, प्रभारी खनिज अधिकारी – जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि आगर–मालवा जिले जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, गौण खनिज को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। उपस्थित श्री सतीश मिश्रा, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Alirajpur , No. 2124 dated 02.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22	1. टेबल– 19 पेज क्र0. 75 से 85 में लीजवार पौधारोपण की जानकारी प्रस्तुत कर दी गयी है। 2. टेबल–3 पेज क्र0. 8–19 मे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 की अधिसूचना में दी गयी 16 बिन्दुओं के अंतर्गत जानकारी जानकारी प्रस्तुत कर दी है।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री रविंद्र परमार खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– आगर मालवा के पत्र क्र0 2124, दिनांक 02/09/22 के माध्यम खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है, तथा लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ आगर मालवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

ब. आगर मालवा (रेत खनिज)

Mineral	**Other then Sand**
Earlier DSR Discussed	SEAC 587th & 588th Meeting dated 02.08.2022 & 16.08.2022
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (**Sand Minerals**)
Deliberation in the SEAC 587th & 588th Meeting dated 02.08.2022 & 16.08.2022	**राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22** **जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – आगर मालवा, म.प्र.– (रेत खनिज)** जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–आगर मालवा के पत्र क्रमांक 1926 दिनांक 22/06/22 के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2021, (रेत खनिज) जिला– आगर मालवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्रेषित की गई थी, जिसकी प्रतिलिपि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) को दी गई थी किंतु उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आज दिनांक तक सेक में अप्राप्त है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) जिला–आगर मालवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को ई–मेल के माध्यम से दिनांक 20/07/22 को प्राप्त हुई है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–आगर मालवा से प्राप्त में यह उल्लेखित है कि संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म), भोपाल के दिशा–निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा की गई हैं । उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2021 (रेत खनिज), राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/07/22 (सॉफ्टकॉपी) को प्रेषित की गई थी तथा प्रस्तुतीकरण/चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित की गई। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में आगर मालवा जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2021 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, कटनी की ओर से श्री सतीश मिश्रा, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :– 1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट (पेज–56 एवं 57) अनुसार जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है। 2. उक्त जिला सर्वेक्षण के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता कि इसे आमजन के सुझाव आंमत्रित करने बाबत् उसे जिले के पोर्टल पर नियत अवधि के लिए कब अपलोड किया गया तथा उक्त समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर उसका निराकरण किस प्रकार किया गया । 3. इसी प्रकार इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में लीजवार/नदीवार रेत की उपलब्धता दर्शाने वाली तालिका में विवरण नहीं दिया गया हैं । 4. पेज नं. 45 पर प्रस्तुत रेनफॉल की जानकारी अस्पष्ट/अपठनीय है । 5. तालिका मे ना ही नदी–वार लीजों की सूची, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत माईनिंग, गहराई के साथ उपलब्ध रेत की मात्रा एंव तदुपरांत उत्पादन, खनिज योग्य खनिज क्षमता, मात्रा की 60% मात्रा को दर्शाया जाना चाहिये। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है। 6. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है । 7. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप

	(आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो । 8. प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए । 9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए। 10. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है । 11. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि आगर मालवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री सतीश मिश्रा प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Agar Malwa , No. 2126 dated 02.09.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 06/09/22	1. तालिका 10 पेज क्र0. 24 में मिनरल पोटेंशियल दिया गया है जो कि मी. टन में भी दर्शाया गया है । 2. उपरोक्त तालिका में लीजवार विगत 03 वर्षो का रेत का उत्पादन भी दर्शाया गया है। 3. खदानों के विवरणों (तालिका क्र0. 10) पेज 24 के सरल क्र0. 2, 3, 5, 7, 8, एंव 10 एंव 11 जिसमें विगत वर्षो में उत्पादन निरंक दर्शाया है इसके टीप मे उल्लेख किया है, कि कुल निलामी लीजों की नीलामी नही हुयी है तथा कुछ खदानों को निरस्त किया गया है जिससे इन व ों में उत्पादन नही हुआ है।

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री श्री सतीश मिश्रा, प्रभारी खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला– आगर मालवा के पत्र क्र0 2126, दिनांक 02/09/22 के माध्यम समिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षो में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये । अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ आगर मालवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

20. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला– कटनी – रेत खनिज

आज दिनांक 06/09/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय एवं श्री श्री संतोष सिंह, खनिज अधिकारी। उपस्थित रहे । कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया गया कि :–

1. रिपोर्ट में रेत खदानों के अंक्षाश एंव देशांश नही दिये गये है।
2. प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून के डाटा प्रस्तुत नहीं किए गए ।

3. मिनरल पोटेंशियल की तालिका की गणना पुनरिक्षित कर जाना प्रस्तावित है।
4. तालिका में दशमलव के तीन अंको को लिखा गया है । कृपया आवश्यक सुधार करें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि कटनी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जावे तत्संबंध में उपस्थित खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गयी।

21. Case No 6819/2020 M/s Atul Polychem, 2nd Floor, Amit Apartment, E-5, Ratlam Kothi, Dist. Indore, MP – 452001 Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin (From 2,700 to 11,000 MT/annum) at Khasra No. 58/1/K, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). Cat. - 5(f). Environmental Consultant:San Envirotech Pvt. Ltd.

This is the case for Prior Environment Clearance for Expansion in manufacturing of Synthetic Resin at Khasra No. 58/1/k, Village - Raokhedi, Post - Mangaliya, AB Road, Tehsil - Sanwer, Dist. Indore (MP). The proposed project falls under item no 5(f).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 425th SEAC meeting dated 26/02/20 wherein ToR was recommended.

EC recommended in 458 SEAC meeting dated 22-09-20. EC granted in 642 SEIAA meeting dated 05-10-20. EC issued vide letter no. 4519-20/SEIAA/20 dated 27-10-20.

SEIAA has sent the on-line case file to SEAC on 23-06-22 for EC amendment. PP has applied for EC amendment in the prescribed form- 4.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted that as per granted EC the total water requirement of plant after expansion will increase to 10.5 KLD and waste water generation will be 6.5 KLD (Domestic 2.0 KLD, condensate from process 3.5 KLD & cooling bleed off 1.0 KLD). PP further submitted that in their submitted EIA report they have proposed to send industrial effluent to CETP after primary treatment at site. However, as per granted EC, it has been instructed by H'ble SEIAA/SEAC M.P. to ensure "Zero Effluent Discharge" from the unit by recycling. To ensure ZLD, industry had explored the possibility of installation of "Zero Liquid Discharge" Plant & reuses the treated water within the premises. However, the capital & maintenance cost for ZLD Plant is expensive. Investment on ZLD plant will be expensive for the industry and the industry would not be able to manufacture the final product at a reasonable cost due to which

economic viability will be lost as the cost of ETP for this unit will be approx. 70.00 lakhs.Thus we request the H'ble SEIAA/SEAC M.P. for amendment in EC to allow us to send industrial effluent after primary treatment to CETP, Indore for further treatment & disposal. The case was scheduled for presentation and discussion in the 582nd SEAC meting dated 29/06/22 wherein after presentation PP was asked to submit following information for further consideration of the project:

1. Since during public hearing it was redommended by the district authorities that CETP at Sanwer Road, Indore is for the industries located in that area thus what are the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore? Please provide credible proof issued by the competent authorities to justify your proposal.
2. Detailed justification (component wise) of cost of proposed ETP for Rs. 75.00 lakhs.
3. How PP will ensure safe and spill proof transportation of waste water through tankers from plant site at Mangliya to CETP at Sanwer Road, Indore. How much distance will be travelled by road?

PP has submitted the online query reply raised in 582nd SEAC meeting dated 29.06.2022 through "Parivesh Portal" on dated 17.07.2022 and thus the cxase was scheduled in the 587th SEAC meeting dated 02/08/22. The case was presented by the PP Mr. Ajay Patel (online). During presentation it was observed by the committee that PP is unable to justify their request for amendment in previous EC conditions. PP is also unable to produce credible proof of competent authorities prescribing the zone of influence / consideration of CETP Sanwer Road, Indore. Committee further observed that in the minutes of public hearing following recommendations were made by the competent authorities:

''उद्योग द्वारा दूषित जल का प्राथमिक उपचार कर इसे लगभग 18 किलोमीटर दूर सांवेर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कॉमन इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट में अंतिम रूप से उपचार एवं निष्पादन हेतु भेजे जाने का प्रस्ताव दिया गया है । यह मान्य योग्य नहीं है । उक्त सीईटीपी सांवेर रोड़ औद्योगिक हेतु स्थापित किया गया है, अतः उद्योग स्वयं के परिसर में विस्तृत दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना करेगा व उपचारित दूषित जल का पुनर्उपयोग उद्योग/परिसर में वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा व उद्योग परिसर से बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जावेगी । उद्योग द्वारा घरेलू कार्यो से उत्पन्न दूषित जल को सोकपिट में छोड़े जाने का प्रस्ताव मान्य योग्य नहीं है । उद्योग द्वारा उपरोक्तानुसार परिसर में सीवेज सह इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जावे व सभी प्रकार के दूषित जल का उपचार कर उसका पुनर्उपयोग सुनिश्चित् किया जावे'' ।

Considering above recommendations of public hearing a condition was imposed to install ETP and also to ensure "Zero Effluent Discharge". After deliberations, committee does not agree to the submissions made by PP as no logical

answers/reasons are provided by PP to amend the conditions and decided to stands by its earlier recommendations made in 458th SEAC meeting dated 22/09/20.

सेक की उपरोक्त अनुशंसा पर प्रकरण को सिया की बैठक दिनांक 18/08/22 में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय के समक्ष परियोजना प्रस्तावक उपस्थित होकर 03 निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराये गये, जिन पर भी विचार किया गया :–

- इस संदर्भ में इण्डस्ट्रीज एसोसियशन के द्वारा Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Pertro-chemicals Industry Facilitation Cell में पत्राचार किया गया था, जिसके जबाव में पत्र क्रमांक 28–58/1/2022–आईएफसी–सीपीसी दिनांक 29/07/22 के माध्यम से निम्न निर्देश प्राप्त हुए है :–
  "ZLD is not a compulsory condition. Project Proponent (PP) can apporoach EAC/MoEF&CC for seeking an amendment in EC (Envoironmental Clearance) if is not feasible for that PP"
- उपरोक्त पत्र के प्रकाश में यह भी विचार किया गया कि इकाई एक सूक्ष्म उद्योग श्रेणी की है, जिसके विस्तार की लागत 1.11 करोड़ की प्रस्तावित है । इकाई में ई.टी.पी. लगाना एक महंगा विकल्प होगा, जिससे ZLD की शर्त व्यवहारिक नहीं लगती हैं ।
- अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 14/07/22 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया है कि मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी के फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसर शुल्क के साथ उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी.मे लेना सुनिश्चित् करें ।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरांत उपरोक्त उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों तथा तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पुनः सेक को पुनः भेजा जाना चाहिए । साथ ही परियोजना प्रस्तावक उक्त दस्तावेज अनिवार्यतः ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सेक को उपलब्ध करायें, जिससे सेक अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सके ।

आज दिनांक 06/09/22 को उपरोक्त प्रकरण को समिति के समक्ष रखा गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि सिया के निर्देशानुसार परियोजना प्रस्तावक को निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु ए.डी.एस. जारी किया जाये :–

- Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Pertro-chemicals Industry Facilitation Cell में पत्राचार किया गया था, जिसके जबाव में पत्र क्रमांक 28–58/1/2022–आईएफसी–सीपीसी दिनांक 29/07/22 के माध्यम से निम्न निर्देश प्राप्त हुए है :–
  "ZLD is not a compulsory condition. Project Proponent (PP) can apporoach EAC/MoEF&CC for seeking an amendment in EC (Envoironmental Clearance) if is not feasible for that PP" .

- अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1023 दिनांक 14/07/22 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया है कि मेसर्स अतुल पोलीकेम, राऊखेड़ी के फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसर शुल्क के साथ उपचारित पानी को सी.ई.टी.पी.मे लेना सुनिश्चित् करें ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई / गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    f. Lease owner's Name, Contact details etc.

g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
i. Minable Potential of sand mine.
j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौघों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    o. Minable Potential of sand mine.
    p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई / गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौघों की ऊँचाई / गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– **रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– **बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained